/CLR-Estab

परिशिष्ट - 3
प्र.क्र. 1256

[12/2/2024]

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख मध्य प्रदेश

प्रश्न सं.भू.क.[1256]

क्रमांक 239 /स्था एक/पटवारी/30409/2023

ग्वालियर दिनांक 15.3.2023

प्रति,

कलेक्टर
भू-अभिलेख
जिला समस्त म.प्र

विषयः- सी.पी.सी.टी परीक्षा अनुत्तीर्ण पटवारियों के विरूध्द नियमानुसार कार्यवाही बावत्।

संदर्भः- 1. मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का परिपत्र क्रमांक एफ 13-2/986 /सात/413 दिनांक 13.11.2017

2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1225/स्था.एक/पटवारी/30409/2022 दिनांक 4.8.2020

----00----

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। पटवारी भर्ती नियम के अनुसार कम्प्युटर दक्षता प्रमाण पत्र (cpct) में हिन्दी टायपिंग एवं कम्प्यूटर ज्ञान में पास होना अनिवार्य है। तत्समय बहुत कम उम्मीदवार ऐसे थे, जो उक्त आर्हताएं रखते थे, इस कारण पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में यह प्रावधान दिया गया था कि चयन होने पर दो साल के अन्दर उम्मीदवार को सीपीसीटी सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाना आवश्यक है। ऐसे उम्मीदवार जो 02 साल के अन्दर यह सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर पाते हैं उन्हें सेवा से पृथक कर दिया जाएगा।

पटवारी परीक्षा 2017 में नियुक्त पटवारियों को अनिवार्य अर्हता सीपीसीटी की परीक्षा दो वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया था। किंतु वर्ष 2020 में कोरोना की महामारी के कारण सीपीसीटी परीक्षा आयोजित नहीं हुई है।

उपरोक्त संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1225/स्था.एक/पटवारी/30409/2022 दिनांक 4.8.2020 द्वारा सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण न करने के कारण पटवारियों के विरूद् कोई भी सेवा से पृथक करने की कार्यवाही न करते हुए एक वर्ष का अतिरिक्त समय दिया गया था ।

तदोउपरान्त भी उपरोक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जिन पटवारियों ने निर्धारित समयावधि में सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की हैं उनके विरूध्द नियमानुसार कार्यवाही कर अवगत करावें। (आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा अनुमोदित)

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

अपर आयुक्त
भू-अभिलेख,मध्यप्रदेश

Scanned with CamScanner

...../0001/2020-O/o CLR-CLR

परिशिष्ट 'ब'
पृ. क्र. 1256

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश

क्रमांक 1225 /स्था.एक/पटवारी/30409/2020

ग्वालियर दिनांक 4/8/2020

प्रति,

कलेक्टर
भू-अभिलेख
जिला समस्त
मध्यप्रदेश

विषय :-कोरोना महामारी के कारण सीपीसीटी परीक्षा न होने से पटवारियों को सेवा से पृथक न करने बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि पटवारी परीक्षा 2018 में नियुक्त पटवारियों को अनिवार्य अर्हता सीपीसीटी की परीक्षा दो वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया था। किंतु वर्तमान में कोरोना की महामारी के कारण सीपीसीटी परीक्षा दिनांक 01.03.20 के बाद आयोजित नहीं की जा सकी है।

अतः ऐसी स्थिति में किसी भी पटवारी को सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण न करने के कारण पटवारियों के विरूद्ध सेवा से पृथक करने की कार्यवाही न की जाए। अतः उक्त पटवारियों को विशेष परिस्थितियों के कारण सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु एक वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जाता है। यह अन्य प्रकरणों में लागू नही होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dnyaneshwar Bhalchandra Patil
Date: 2020.07.31 12:30:03 IST

आयुक्त
ज्ञानेश्वर. बी. पाटील
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त
आयुक्त
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त
म.प्र. ग्वालियर

Dnyaneshwar Bhalchandra. Patil, CLR(DBP), COMMISSIONER LAND RECORD

Dnyaneshwar Bhalchandra. Patil

Secretary

COMMISSIONER LAND RECORD

COMMISSIONER

dbpatil@nic.in

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

Scanned with CamScanner